इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 192] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 31 मार्च 2011—चैत्र 10, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2011

क्र. 9366-वि.स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबन्धों के पालन में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 16 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 31 मार्च, 2011 को पुर: स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १६ सन् २०११

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० को और संशोधित करने हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

धारा ५३ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ५३ में,—

(एक) उपधारा (१) में, चतुर्थ परन्तुक का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (१३) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

"(१४) (क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सहकारी बैंक की दशा में, यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वैसी अपेक्षा की जाए, रजिस्ट्रार द्वारा, संचालक मंडल या प्रबंध निकाय को (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो) हटाने के लिये तथा सहकारी बैंक के कामकाज का प्रबंध करने के लिए कुल मिलाकर पांच वर्ष से अनधिक की उतनी कालावधि या कालावधियों के लिए प्रशासक नियुक्त करने के लिए जितनी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, आदेश किया जाएगा और इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रशासक अपनी पदावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् भी नई समिति का प्रथम सम्मिलन आयोजित होने के दिन से अव्यवहित पूर्व की तारीख तक पद पर बना रहेगा.

(ख) प्रशासक की इस प्रकार नियुक्ति हो जाने पर, उपधारा (४) और (५) के उपबंध उस पर भी लागू होंगे.

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपेक्षित किए जाने पर किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध जो खण्ड (क) में निर्दिष्ट है, कोई अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन नहीं होगा या अनुज्ञेय नहीं होगा तथा ऐसा आदेश किसी भी रीति में प्रश्नगत किए जाने का दायी नहीं होगा.".

धारा ५९ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ५९ में, उपधारा (५) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

"(६) (क) रजिस्ट्रार जांच पूरी होने की तारीख से एक मास की कालावधि के भीतर निम्नलिखित को जांच की रिपोर्ट संसूचित करेगा,

(एक) संबंधित सोसाइटी को;

(दो) आवेदकों को या ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए आवेदकों द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति को,

(ख) जांच की रिपोर्ट मांग की जाने पर,

(एक) सोसाइटी के किसी सदस्य को;

(दो) उस संघ को, जिसकी कि सोसाइटी सदस्य है;

(तीन) लेनदार को भी,

विहित फीस के साथ आवेदन प्रस्तुत करने से एक मास के भीतर प्रदाय की जाएगी.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) के उपबंधों के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी से अध्यपेक्षा की जाने पर सहकारी बैंकों के संचालक मण्डल के विरुद्ध अविलम्ब सख्त कार्रवाई करने की दृष्टि से तथा इस अधिनियम के अधीन की गई किसी जांच की जांच रिपोर्ट आवेदक को तथा संबंधित सोसाइटी को संसूचित किए जाने की दृष्टि से मूल अधिनियम में कतिपय संशोधन आवश्यक हो गए हैं.

२. उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से निम्नलिखित विशेषताओं वाला यह विधेयक प्रस्तावित है :—

(१) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार सहकारी बैंकों के संचालक मण्डल के विरुद्ध कार्रवाई करने में विलम्ब से बचने की दृष्टि से धारा ५३ (१) के चतुर्थ परन्तुक का लोप कर दिया गया है.

(२) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लोक हित में अपेक्षित किए गए अनुसार किसी सहकारी बैंक के संचालक मण्डल को अतिष्ठित करने के लिए रजिस्ट्रार को सशक्त करने अथवा बैंकों के निक्षेपकर्ताओं के हितों के अपायकर रीति में किए जा रहे कामकाजों को रोकने के लिए अथवा बैंक का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रशासक नियुक्त करने के लिए धारा ५३ में एक नई उपधारा (१४) जोड़ी गई है.

(३) संबंधित सोसाइटी तथा आवेदक को जांच रिपोर्ट संसूचित किए जाने का उपबंध करने के लिए धारा ५९ को यथोचित रूप से संशोधित किया गया है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २८ मार्च, २०११.

गौरी शंकर बिसेन
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड ३ के द्वारा जांच—रिपोर्ट की मांग किए जाने पर फीस निर्धारण संबंधी विधायनी शक्ति राज्य सरकार को प्रत्यायोजित की गई है.

उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का होगा.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.